प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय

गुड़वा, सीतागढ़ा, हजारीबाग, 825 303

छात्रावास के साधारण नियम

प्रस्तावना: महाविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति छात्रावास का मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करते हुए स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता और लचीलापन विकसित करने में छात्रावास मदद करता है। चूंकि छात्र अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए वे विभिन्न दृष्टिकोणों और संस्कृतियों से परिचित होते हैं। छात्रावास छात्रों को शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है। प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए छात्रावास के नियमों का पालन करना आवश्यक है।

महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास हैं। **जेंट्स होस्टल** कॉलेज परिसर के भीतर है। **लेडिज होस्टल**, जो परिसर से लगभग 1.2 किमी दूर है, **होली क्रॉस** की धर्मबहनों द्वारा चलाया जाता है। दोनों छात्रावास समान नीतियों, नियमों और विनियमों के साथ स्वायत्त रूप से संचालित हैं। छात्रावास कैथोलिक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जाता है। इसलिए, दैनिक प्रार्थना और पूजा कैथोलिक धार्मिक प्रथाओं के अनुसार होती है। यहां प्रवेश लेनेवालों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे अच्छी तरह समझ लें और अपनी स्पष्ट सहमति दें।

छात्रावास के निम्नांकित नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं।

खण्ड (क): सामान्य अनुशासन सम्बन्धी :-

1. सभी छात्रावासी एक दूसरे से **आदर-सम्मान का बर्ताव** करें एवं नियमों के पालन करने में एक दूसरे का सहयोग करें। छात्रावास अधीक्षक / अधीक्षिका एवं विभागीय प्रतिनिधियों का सम्मान करना एवं आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है।

2. **सुबह** घंटी लगने पर सभी को उठकर वातावरण को शांत रखते हुए जल्दी प्रार्थनालय जाना है। भोर की प्रार्थना में भाग लेना महाविद्यालय के कार्यक्रम का हिस्सा है।

3. **दैनिक प्रार्थनाएँ** एवं पूजा व्यक्तित्व विकास में विशेष महत्व रखती हैं। सभी कोई अंतरात्मा के प्रति अपना फर्ज समझें और भक्ति के साथ प्रार्थना एवं पूजा में भाग लें।

4. छात्रावास के सभी कार्यक्रमों (पूजा, अध्ययन, भोजन, बागवानी, कृषि एवं अन्य काम, खेल आदि) में **निर्धारित समय पर** सभी को उपस्थित होना है।

5. पारी अनुसार प्रतिदिन छात्रावास के **कमरों की सफाई** करना है। दलगत कार्यों में सभी सदस्यों को हाथ बंटाना है। अस्वस्थता के कारण काम करने की असमर्थता पर छूट की अनुमति अधीक्षक / अधीक्षिका से लेना है।

6. छात्रावास एवं महाविद्यालय की सफाई एवं छात्रावास के प्रत्येक **सामान की देखरेख** करने की जिम्मेदारी छात्रावासियों की है। छात्रावास के सामानों के टूटने-फूटने, या किसी तरह के नुकसान होने पर इसकी सूचना अविलंब

छात्रावास अधीक्षक / अधीक्षिका को दें । छात्रावास की दीवालों, खिड़की-दरवाजों, मेज-कुर्सियों, पलंग-आलमारियों आदि पर लिखना, धब्बे लगाना, पोस्टर-तस्वीर आदि चिपकाना मना है।

7. **बागवानी, कृषि** एवं अन्य कार्यों में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। असमर्थता पर केवल छात्रावास अधीक्षक/ अधीक्षिका ही अनुमति दे सकते हैं।

8. सभी छात्रावासियों को **खेलकूद** में भाग लेना अनिवार्य है । यदि कोई किसी कारणवश खेल नहीं सकता तो खेल प्रतिनिधि द्वारा अधीक्षक / अधीक्षिका को सूचित करना आवश्यक है।

9. कोई भी छात्रावासी अन्य किसी को **ठेस न पहुँचाये** । दूसरों के सामानों को क्षतिग्रस्त करना सख्त मना है। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार एवं अनुशासनात्मक समस्या मिलने पर उचित कार्रवाई की जायेगी।

10. हर विभाग के **प्रतिनिधि** अपने विभाग का रिपोर्ट समय-समय पर अधीक्षक/ अधीक्षिका को देते रहें ताकि परिस्थिति के अनुसार दिशा-निर्देश दिया जा सके । प्रतिनिधि अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करने के लिए अधीक्षक/ अधीक्षिका से निर्देश / परामर्श लें एवं अपने विभागीय कामों की सूचना अधीक्षक को अवश्य दें।

11. सप्ताह के दिनों में **अध्ययन का समय** 7:15 बजे शाम से 9:45 बजे रात्रि तक है । सभी छात्रावासी स्वाध्ययन छात्रावास में अपनी कक्षाओं में करेंगे। अध्ययन के समय किसी को कोई बाधा नहीं पहुँचाना है। अध्ययन कक्ष में वार्तालाप करना मना है। वार्तालाप करना अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो कक्ष से बाहर बातें करें।

12. कक्षाओं की सभी **बत्तियाँ** रात्रि10:00 बजे एवं शयन कक्ष की बत्तियाँ रात्रि 10:30 तक बुझा दी जायेंगी।

13. **शयन कक्ष में** जोर से संगीत बजाना वर्जित है। छात्रावासी अनावश्यक दूसरों के कमरे में ना जायें । बीमारी की अवस्था को छोड़कर किसी भी हालत में शयनकक्ष में भोजन लेकर न जायें।

14. **बीमार** पड़ने पर निकट साथी या कोई प्रतिनिधि के द्वारा अधीक्षक को बिना विलम्ब सूचना दें।

15. **बाजार जाने का दिन** महीने के प्रथम रविवार को महिला छात्रावासियों के लिए और दूसरे रविवार को पुरुष छात्रावासियों के लिए रखा गया है। सबों को उस दिन बाहर जाना है । नाश्ता के बाद बाहर निकलकर शाम 4:30 बजे तक लौटकर आना है । 5:00 बजे हाजिरी होगी। देर से पहुँचने पर आर्थिक दंड लिया जा सकता है। किसी दूसरे दिन बिना अनुमति के बाहर जाने की इजाजत नहीं है।

16. **निकट के प्रशिक्षणार्थी** शनिवार अथवा रविवार को घर नहीं जायेंगे । उन्हें भी अन्य छात्रावासियों की तरह ही अवकाश दिया जायेगा। आकस्मिक अवसर पर लिखित आवेदन देने पर ही विचार किया जाएगा।

17. रात्रि **बाहर रुकने के लिए** छात्रावास अधीक्षक / अधीक्षिका से अनुमति लेना अनिवार्य है। वापस आने पर उनसे अवश्य मिलना है।

18. **छात्रावास से बाहर जाते समय** रजिस्टर में अपना नाम लिखकर ही जायें तथा वापस आने पर अपना हस्ताक्षर करें। आवश्यकतानुसार किसी भी कार्यक्रम के दौरान हाजिरी ली जा सकती है।

19. छात्रावास, कॉन्वेन्ट या महाविद्यालय परिसर के पेड़ों से **फल** बिना अनुमति **तोड़ना** वर्जित है।

20. छात्रावास में **निजी वाहन** (साइकिल, मोटर साइकिल इत्यादि) रखना मना है। प्रशिक्षणार्थी शिक्षण अभ्यास के समय अधीक्षक की अनुमति से आवागमन की व्यवस्था खुद से करेंगे।

21. छात्रावासियों को **मोबाइल** रखने की अनुमति दिया गया है। अध्ययन के समय मोबाइल प्रयोग करना मना है। लेकिन अध्ययन संबंधी आवश्यकता पड़ने पर अनुमति लेकर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा पकड़े जाने पर मोबाइल को जब्त किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। छात्रावास परिसर में रात्रि 10:15 के बाद मोबाइल का प्रयोग करना वर्जित है।

22. किसी भी परिस्थिति में **भोजन-पूर्व बैठक** 20 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश लम्बी बैठक की आवश्यकता हो तो उसका विषयवस्तु बैठक के दो दिन पूर्व ही अधीक्षक / अधीक्षिका को देकर अनुमति प्राप्त करें। भोजन के कमरे में बातें रखते हैं तो यह याद रखें कि हर प्रतिनिधि अपने विभाग की ही बात करें। यदि आपने किसी दूसरे विभाग की गलती देखी है या सूचना देनी है तो संबंधित प्रतिनिधि को सूचित कर दें। सूचना शालीनता से पेश करें।

23. प्रतिनिधि दूसरों को मौखिक रूप से खामियाँ बताकर **सुधार** सकते हैं। भोजनालय में जब सुधारा जाता है तो गलती करने वाले को प्रश्न पूछने या सफाई देने का अधिकार नहीं है। जब कोई छात्रावासी बार-बार गलती करता है तो इसकी सूचना अधीक्षक / अधीक्षिका को अवश्य दें। ***छात्रावासियों को किसी भी कारण अन्य प्रशिक्षु को दण्ड देने का अधिकार नहीं है***। यह अधिकार सिर्फ अधीक्षक/ अधीक्षिका के अधीन है।

खण्ड (ख): भोजन सम्बन्धी :-

1. सभों को समय पर भोजनालय पहुँचना जरूरी है। **समय पर उपस्थित** नहीं होने पर भोजन वितरण में असुविधा होती है।

2. खाने के **निर्दिष्ट समय के बाहर** नाश्ता या भोजन करना मना है।

3. शाम के भोजन के समय सभी को भोजन के कमरे में होना आवश्यक है, इस समय **हाजिरी** ली जाती है तथा आनेवाले कार्यक्रमों की सूचना दी जाती है।

4. बीमार छत्रवासियों के अलावा किसी को भी **शयन कक्ष में भोजन** करने की अनुमति नहीं है।

5. कोई भी छात्रावासी अपनी रूचि के अनुसार **अलग से भोजन** रसोई में नहीं पकायेंगे। खाना संबंधी कोई शिकायत होने पर अधीक्षक / अधीक्षिका को सूचित करें।

6. जिस दल को **रसोई स्थल** में काम मिलता है उन्हें छोड़कर दूसरे वहाँ अनावश्यक प्रवेश नहीं करेंगे। जब भी आपके दल की पारी नाश्ता या भोजन पकाने की है आप अपना सहयोग पूर्ण ईमानदारी से दें।

खण्ड (ग) : मुलाकात सम्बन्धी :-

1. विशेष कारणों एवं परिस्थितियों में अधीक्षक / अधीक्षिका मुलाकातियों से भेंट करने से रोक सकते हैं। **छात्रावास के कमरों में** किसी ***मुलाकाती*** को लेना मना है।

2. महिला छात्रावास में अभिभावकों से मुलाकात का समय रविवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक का है। अन्य दिनों में मुलाकात के लिए छात्रावास अधीक्षिका से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है।

3. महिला छात्रावास में मुलाकात की जगह सिर्फ छात्रावास 'पार्लर' है।

खण्ड (घ) : छात्रावास से निष्कासित किये जाने योग्य दुराचार :-

[ये नियम अपरक्राम्य (non-negotiable) हैं।]

1) छात्रावास में किसी प्रकार की दलबन्दी करना या गड़बड़ी या अनुशासनहीनता फैलाना।
2) अधीक्षक /अधीक्षिका के जानकारी व स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की बैठक करना।
3) किसी बाहरी व्यक्ति (पुरुष या महिला दोस्त को) बिना अनुमति कमरे में लेना या डेरा देना।
4) बिना पूर्व अनुमति के छात्रावास से बाहर जाना एवं रात बिताना।
5) छात्रावास के नियमों का बार-बार उल्लंघन करना।
6) छात्रावासी का चरित्र या व्यवहार असंतोषजनक होना।
7) महाविद्यालय या छात्रावास में, धूम्रपान, मद्यपान या नशीली द्रव्यों का सेवन करना एवं परिसर के अन्दर शराब लेकर आना या मंगवाना।

टिप्पणी

a) महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में नशा पान करके आने या नशा करते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड ₹ 20000/- भरना होगा। इसके अलावा महाविद्यालय के दोनों वर्षों का सम्पूर्ण शुल्क और छात्रावास का बकाया अदा करने के बाद ही पुनः पढ़ाई में शामिल हो सकेंगे। ऐसा कदाचार दुहराने पर प्रशिक्षु को छात्रावास तथा महाविद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

b) गंभीर अनुशासनात्मक मामलों पर अंतिम निर्णय महाविद्यालय की अनुशासन समिति का प्रतिवेदन और सलाह पर विचार करने के पश्चात प्रबंधन समिति करेगी।

प्रतिज्ञा

मैंने छात्रावास के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और उन्हें पूरी तरह से समझ लिया है। मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हुए उनका पूर्णतः पालन करने का वचन देता/ देती हूँ।

प्रशिक्षु का हस्ताक्षर .... तिथि ....

अभिभावक का हस्ताक्षर .... तिथि ....